न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 19 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 25)	30.01.2024	16.12.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

रामप्रसाद पुत्र मोडूलाल जाति बैरवा,
निवासी ग्राम नयागांव उर्फ बोहरा कजोड की झौपडिया,
तहसील के.पाटन, हाल तहसील रायथल, जिला बून्दी

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री शंभूलाल मेघवाल, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी रामप्रसाद को किये गये भूमि आवंटन ख.सं. 1644 रकबा 0.77 हैक्टेयर वाकेग्राम नयागांव उर्फ बोहरा कजोड की झौपडिया आवंटन आदेश दिनांक 09.01.2007 को निरस्त किये जाने हेतु राज. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 19 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024 / 25 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 07.10.24 को जवाब पेश किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अप्रार्थी को दिनांक 09.07.20007 को गाम सम्पर्क अभियान–2007 को मुकाम गेण्डोली में भूमि खसरा संख्या 1644 रकबा 0.77 हैक्टेयर आवंटित की गई थी तथा अप्रार्थी को उक्त भूमि का मौके पर कब्जा दिया गया। तब से ही उक्त भूमि पर अप्रार्थी ही काबिज काश्त चला आ रहा है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त होने से अप्रार्थी को नियमानुसार गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, तब से ही उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी की गैर खातेदारी में चली आ रही है। अप्रार्थी के पास उक्त आवंटित भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। अप्रार्थी व उसका पूरा परिवार उक्त आवंटित भूमि पर ही पूर्ण रूप से निर्भर आश्रित है, यदि उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया तो अप्रार्थी का परिवार बर्बाद हो जावेगा। इसलिए अप्रार्थी को उक्त भूमि पर खातेदारी दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा झूठे व निराधार तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि रामप्रसाद आ. मोडूलाल जाति बैरवा निवासी नयागांव उर्फ कजोड़ की झौपडिया को दिनांक 09.01.2007 को भूमि खसरा संख्या 1644 रकबा 0.77 हैक्टेयर वाकेग्राम नयागांव उर्फ कजोड़ की झौपडिया का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम नयागांव उर्फ कजोड़ की झौपडिया की नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि ख.सं. 1644 रकबा 0.77 हैक्टेयर पर अप्रार्थी रामप्रसाद आ. मोडूलाल जाति बैरवा निवासी नयागांव उर्फ कजोड़ की झौपडिया गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर दिनांक 12.10.2020 के अनुसार उक्त आंवटित भूमि पर मौके पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि खसरा सं. 1644 रकबा 0.77 हैक्टैयर ''पड़त'' पड़ी हुई है।

जिला कलक्टर, बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये जवाब में उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना अंकित किया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जबकि प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों से अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होना प्रकट होता है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रामप्रसाद आ. मोडूलाल जाति बैरवा निवासी नयागांव उर्फ कजोड़ की झौपडिया को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 1644 रकबा 0.77 हैक्टेयर वाके ग्राम नयागांव उर्फ कजोड़ की झौपडिया दिनांक 09.01.2007 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त आवंटित भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी